अध्याय - 1

विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली के पास दोहरा अधिकार क्षेत्र अर्थात संघ सरकार एवं राज्य सरकार जैसी एक मिश्रित प्रशासनिक संरचना है। दिल्ली में 11 जिले तथा 33 उप मंडल हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी तथा 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा **तालिका 1.1** में दी गयी है:

तालिका 1.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

क्र. स.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		1483 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क.	जनसंख्या (2011 जनगणना)	1.70 करोड़
	ख.	जनसंख्या 2021	2.08 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 जनगणना) (अखिल भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बीपीएल) 2011-12 (अखिल भारत का औसत = 21.9 *प्रतिशत*)		39.30 *प्रतिशत*
5	साक्षरता (2011 केजनगणना के अनुसार) (अखिल भारत का औसत= 73.0 *प्रतिशत*)		86.20 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु दर (2019) (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारत का औसत= प्रति 1000 जन्म पर 30)		11
7	जन्म के समय जीवन की उम्मीद (2014-18) (अखिल भारत का औसत = 69.4वर्ष)		75.3 वर्ष
8	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2020-21		₹7,98,310 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीडीपी/जीएसडीपी सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)	रा.रा.क्षे.दिल्ली	7.61 *प्रतिशत*
		अखिल भारत	8.21 *प्रतिशत*
10	स.घ.उ./स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2020-21)	रा.रा.क्षे.दिल्ली	9.81 *प्रतिशत*
		अखिल भारत	9.48 *प्रतिशत*
11	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2021)	12.30 *प्रतिशत* (अखिल भारत)	22.30 *प्रतिशत*

स्रोत*:* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की वेबसाईट, आर्थिक सर्वे 2019-20, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2014-18, मानव विकास रिपोर्ट 2020 एवं भारत की जनगणना जानकारी 2011 तथा 2011-2036 तक भारत के महापंजीयक का भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह पर रिपोर्ट।

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य की सीमाक्षेत्र के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान तथा स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि में परिवर्तन क्रमशः **तालिका 1.2, चार्ट 1.1** तथा **चार्ट 1.2** में दिये गये हैं

तालिका 1.2: राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अखिल भारत स.घ.उ.	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
विगत वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत में*)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-)2.93
रा.रा.क्षे. दिल्ली का स.रा.घ.उ. (2011-12 अनुक्रम)	6,16,085	6,77,900	7,50,962	8,30,872	7,98,310
विगत वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत में*)	11.85	10.03	10.78	10.64	-3.92

स्रोत: एमओएसपीआई वेबसाइट एवं आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. के लिए क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2016-17 से 2020-21)

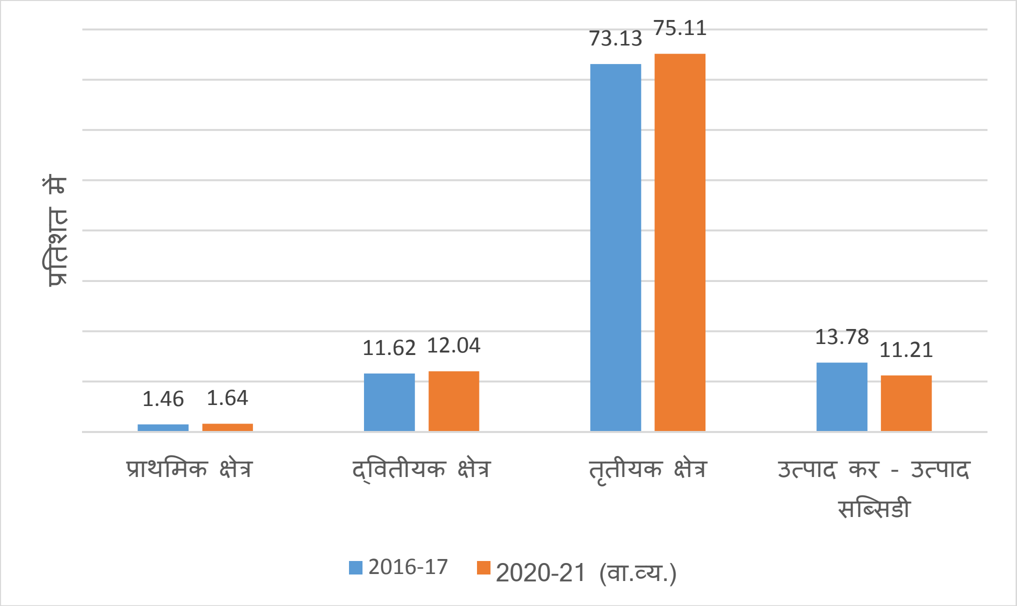

स्रोत: 2020-21 के दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि

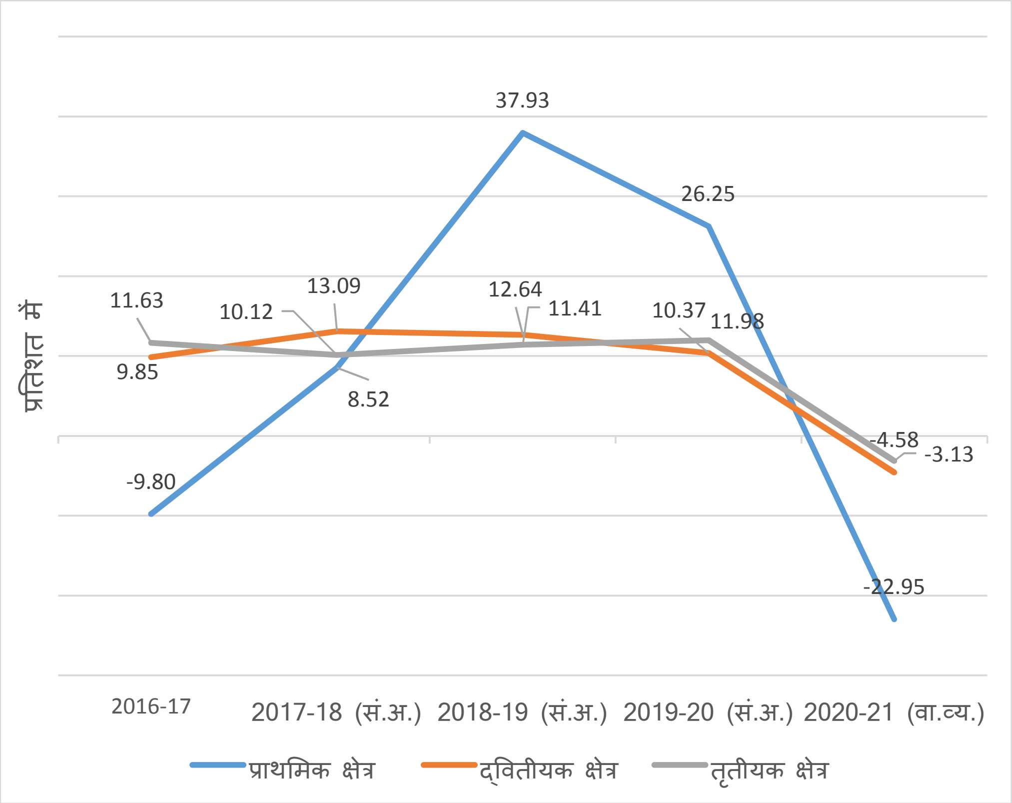

स्रोत: 2020-21 के दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़ों को तैयार करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- स.रा.घ.उ. तथा राज्य से संबंधित सांख्यिकी, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम; और
- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विश्लेषण/टिप्पणी के लिए उपयुक्तता के अनुरूप उपयोग किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को विनियोग और वित्त लेखों के संबंध में मसौदा प्रतिवेदन पर टिप्पणी हेतु दिसम्बर 2021 में भेज दिया गया था। सरकार के उत्तर, जहां प्राप्त हुए है, उन्हें उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित पाँच अध्यायों में की गई है:

अध्याय- 1	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सुक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय- 2	**राज्य वित्त** यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखों पर आधारित रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।
अध्याय- 3	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 4	**लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोंटिग कार्यप्रणाली** यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय - 5	**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम** यह अध्याय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों के कामकाज पर टिप्पणी करता है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखों को दो भागों में रखा जाता है:

1. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा (46))**

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, किए गए सभी अनुदान तथा ऋण के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि के अतिरिक्त कानून के अनुसार तथा उन उद्देश्यों और तरीकों के जैसा कि अधिनियम में प्रदत्त है, कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा (47))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए, जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उन व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने हेतु सक्षम बनाता है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। चूंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है इसलिए लोक लेखे से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचंत) का केन्द्रीय सरकार के लोक लेखे में विलय हो जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केन्द्र सरकार के सामान्य नगद शेष में समायोजित होता है और सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है।

दिल्ली केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है तथा केवल केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के प्रति विवेकाधीन अनुदान प्राप्त करती है।

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के कर तथा गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनका परिणाम भौतिक या वित्तीय संपति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा ऋण पर किया गया ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्ति निर्माण के लिए हो सकता है) के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण और अग्रिम की वसूली, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियाँ और विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल है।

पूंजीगत व्यय में मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश पर व्यय तथा सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. तथा अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखे की संरचना

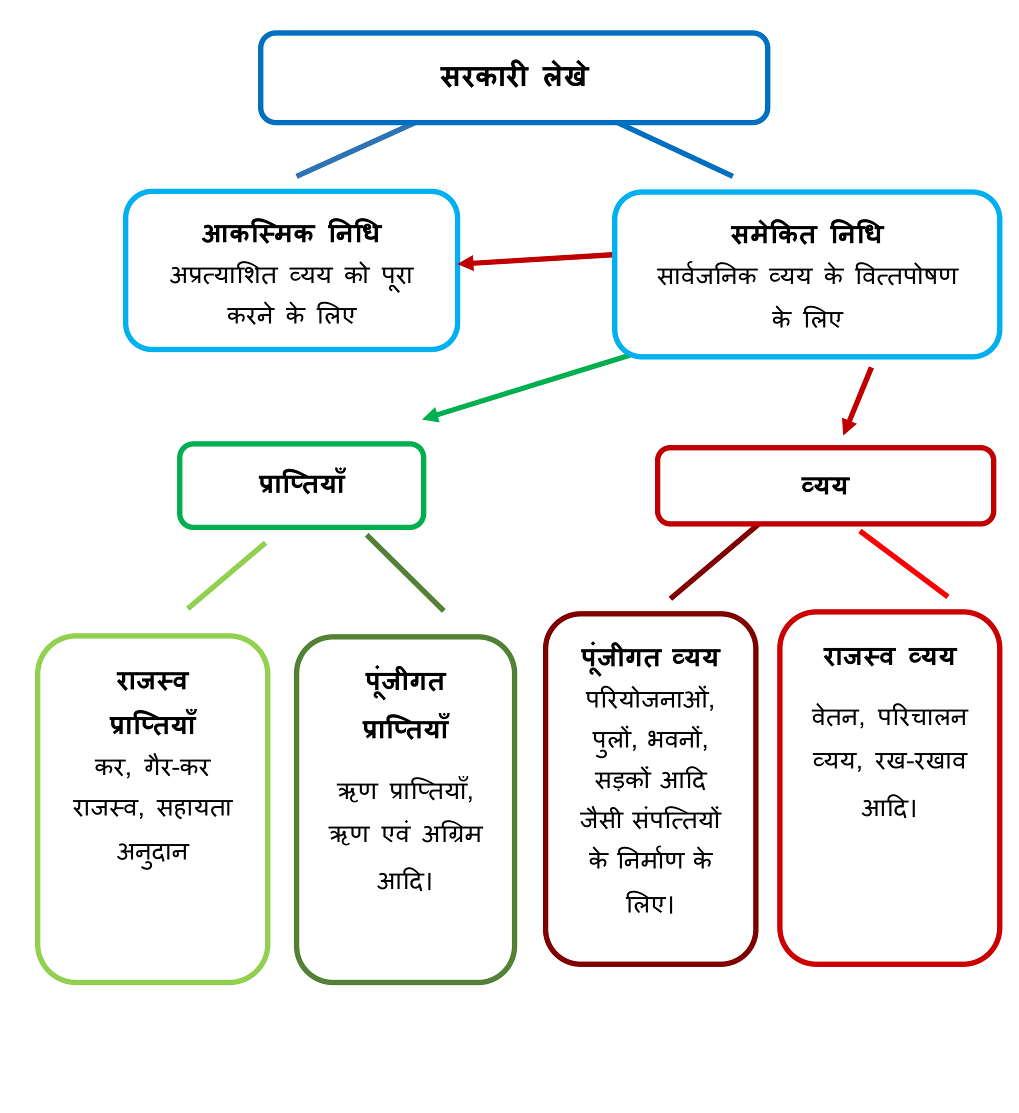

बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम 1991, की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, विधानमंडल के समक्ष, उस वर्ष के लिए पूंजी की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, अनुदानों विनियोजन की मांग के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और उसके अनुमोदन के पश्चात, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत संचित निधि से आवश्यक धनराशि के विनियोजन के लिए विनियोजन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा रा.स.क्षे.दि.स. की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वास्तविक वित्तीय परिणाम, वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान तथा 2019-20 के वास्तविक का तुलनात्मक विवरण प्रदान करता है।

विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ संपूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2019-20	2020-21			
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	ब.अ. से वास्तविक की *प्रतिशतता*	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की *प्रतिशतता*
1	कर राजस्व	36,566	44,100	29,425	66.72	3.69
2	गैर-कर राजस्व	1,097	800	980	122.50	0.12
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	9,473	10,409	11,459	110.09	1.44
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**47,136**	**55,309**	**41,864**	75.69	5.24
5	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	823	1,100	631	57.36	0.08
6	अन्य प्राप्तियाँ	-		-	-	-
7	उधार एवं अन्य देयताएं(क)	1,954	4,291	12,100	281.99	0.78[1]
8	**पूंजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**2,777**	**5,391**	**12,731**	236.15	1.59
9	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**49,913**	**60,700**	**54,595**	89.94	6.84
10	**राजस्व व्यय, जिसका**	**39,637**	**48,070**	**40,414**	84.07	5.06
11	- ब्याज भुगतान	2,752	3,062	2,874	93.86	0.36
12	**पूंजीगत व्यय (ख) जिसका**	**8,738**	**13,419**	**8,789**	65.50	1.10
13	- पूंजीगत परिव्यय	5,472	9,999	4,699	46.99	0.59
14	- ऋण एवं अग्रिम	3,266	3,420	4,090	119.59	0.51
15	**कुल व्यय (10+12)**	**48,375**	**61,489**	**49,203**	80.02	6.16
16	**राजस्व अधिशेष (4-10)**	**7,499**	**7,239**	**1,450**	20.03	0.18
17	**राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-15}**	**(-) 416**	**(-)5,080**	**(-) 6,708**	132.05	-0.84
18	**प्राथमिक अधिशेष (17+11)**	**2,336**	**(-)7,875[2]**	**(-)3,834**	48.69	-0.48

(क) उधार तथा अन्य देयताएं: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)। प्रभावी उधारियाँ तथा अन्य देयताएं ₹ 6,235 करोड़ हो जाएंगी चूंकि व्यय विभाग, भा.स. ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दी गई ₹ 5,865 करोड़ की व.से.क. क्षतिपूर्ति को ऐसे किसी मानक के लिए जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ख) पूंजीगत लेखों पर व्यय में पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

व.से.क. मुआवजा, व.से.क. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अधीन राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि वर्ष 2020-21 के दौरान व.से.क. क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में

[1] ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ की व.से.क. मुआवजे को छोड़ने के पश्चात् प्राप्त।

[2] स्रोतः रा.रा.क्षे.दि.स. का 2020-21 का बजट एक नजर में

₹ 7,264.46 करोड़ की व.से.क. क्षतिपूर्ति प्राप्त होने के अलावा दिल्ली ने राज्य की पुनर्भुगतान देयता के बिना रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 5,865 करोड़ का बैक टू बैक ऋण भी प्राप्त किया। इस व्यवस्था के कारण ₹ 1,450 करोड़ के राजस्व अधिशेष तथा ₹ 6,780 करोड़ के राजकोषीय घाटे को व.से.क. क्षतिपूर्ति के एवज में ₹ 5,865 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के साथ पढ़ा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखा प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित संपत्ति शामिल होती हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजी परिव्यय और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा आरंभिक नगद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संपत्ति और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है:

तालिका 1.4: संपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
		2019-20	2020-21	*प्रतिशत वृद्धि*			2019-20	2020-21	*प्रतिशत वृद्धि*
समेकित निधि									
क	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	34,767	46,867*	34.80	क	सकल पूंजीगत परिव्यय	70,285	74,984	6.68
ख	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए पूँजीगत परिव्यय का शेष	1,588	1,588	0	ख	ऋण व अग्रिम	67,014	70,473	5.16
ग	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष	3,356	3,356	0	ग	भारत सरकार के सामान्य नगद शेष में अंतिम नगद शेष का विलय	6,001	11,393	89.85
घ	राजस्व लेखा में अधिशेष	1,03,589	1,05,039	1.40					
कुल		**1,43,300**	**1,56,850**		**कुल**		**1,43,300**	**1,56,850**	

नोट: 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को क्रमशः ₹ 70,285 करोड़ तथा ₹ 74,983 करोड़ की संपत्ति में सकल पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है जिसे 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को संपत्ति के पक्ष में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम क्रमशः ₹ 67,014 करोड़ और ₹ 70,473 करोड़ थे जिसमें 1994-95 के दौरान ले.म.नि. से ली गई ₹ 3,356 करोड़ शामिल थे।

* इसमें 2020-21 के दौरान भारत सरकार से व.से.क. मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 5,865 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है। ऋण की शर्त के अनुसार, पुनर्भुगतान दायित्व को राज्य के किसी अन्य संसाधन से पूरा नहीं किया जाएगा।

1.5 अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.4 एवं **1.5** 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2016-17 से 2020-21 की अवधि की समाप्ति पर अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां

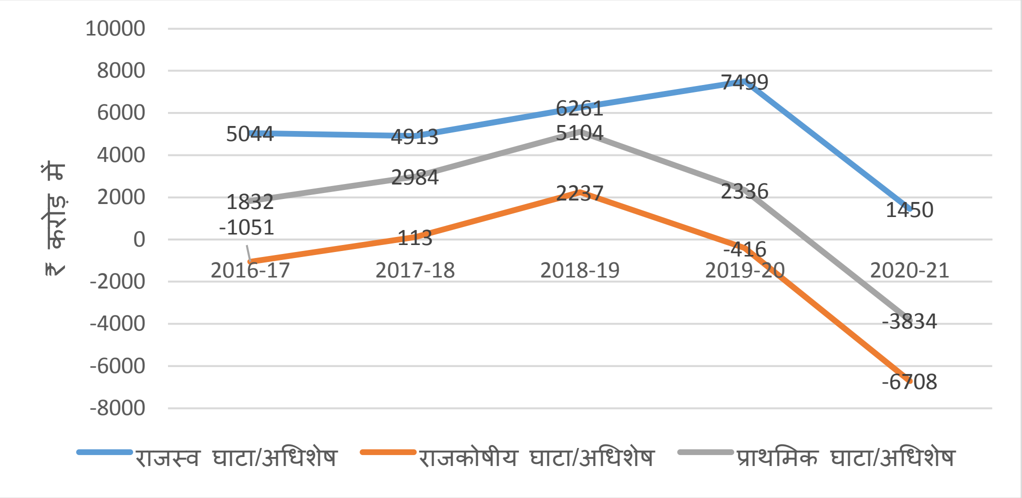

चार्ट 1.5: 2016-17 से 2020-21 की अवधि की समाप्ति पर स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां

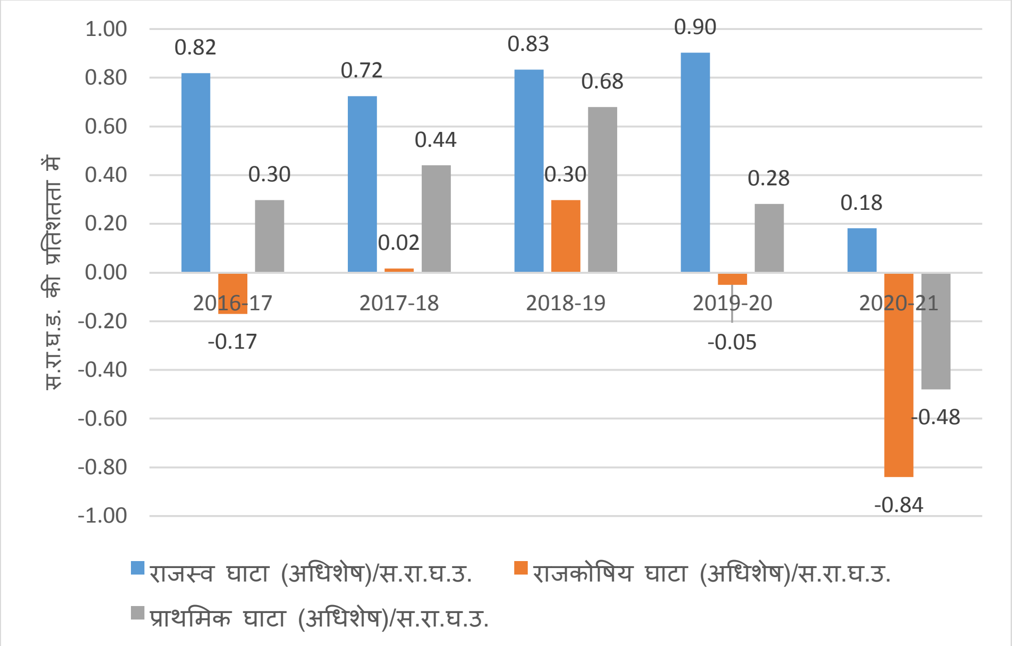

राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के प्रति राजस्व प्राप्तियों की अधिकता को दर्शाता है। 2020-21 में ₹ 1,450 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियाँ

थीं। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में लगातार राजस्व अधिशेष रहा है।

चार्ट 1.4 से देखा जा सकता कि है, राजकोषीय घाटा जो 2016-17 में ₹ 1,051 करोड़ था, 2017-18 के दौरान ₹ 113 करोड़ तथा 2018-19 के दौरान बढ़कर ₹ 2,237 करोड़ के अधिशेष में बदल गया जो कुल राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 47,959 करोड़ (2019-20) से ₹ 42,495 करोड़ (2020-21) में 11.39 *प्रतिशत* की कमी के कारण 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ तथा 2020-21 के दौरान ₹ 6,708 करोड़ के घाटे में बदल गया।

2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास प्राथमिक अधिशेष था जो 2020-21 में ₹ 3,834 करोड़ के घाटे में बदल गया जो मुख्य रूप से कुल राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में कमी के कारण था।

2019-20 में स.रा.घ.उ. के 0.90 *प्रतिशत* के प्रति 2020-21 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.18 *प्रतिशत* हो गया। 2019-20 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.05 *प्रतिशत* के राजकोषीय घाटा के प्रति 2020-21 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.84 *प्रतिशत* का राजकोषीय घाटा हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली भा.स. द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार वहन करता है। 2020-21 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की ₹ 1,452.48 करोड़ की पेंशन देयताओं तथा दिल्ली पुलिस के ₹ 7,706.44 करोड़ के राजस्व व्यय (संशोधित अनुमान के अनुसार) का वहन भारत सरकार द्वारा किया गया था।